

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 461/2009/उदयपुर

मैसर्स राजस्थान जन जाति क्षेत्रिय विकास सहकारी समिति लि,
प्रतापनगर, उदयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-सी, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री रामकिशोर खदाव, उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 83/RST/ET/07-08 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2007 के अन्तर्गत राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "प्रवेश अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2000 के क्लोज 8 व 12 के अन्तर्गत प्रवेश कर राशि रूपये 84,185, शास्ति राशि रूपये 39,343/- एवं ब्याज राशि रूपये 49,295/- कुल मांग राशि रूपये 1,72,823/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि व्यवसायी प्रवेश अधिनियम के तहत देय प्रवेश कर के अन्तर्गत विमुक्ति स्कीम की पात्रता रखने के कारण उनके द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित विमुक्ति शुल्क जमा करवाया जाता रहा है। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान निर्धारित विमुक्ति शुल्क जमा करवाना था, परन्तु उनके द्वारा पुराना पंजीयन निरस्त करवाये बिना ही नवीन पंजीयन हेतु आवेदन कर आलौच्य अवधि के दौरान विमुक्ति शुल्क जमा नहीं करवाया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने बढी हुई कम्पोजिशन राशि से बचने का प्रयास मानते हुए करापवंचन मानकर कर, ब्याज एवं शास्ति कुल मांग राशि रूपये 1,72,823/- का आरोपण करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2007 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश को यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि व्यवसायी द्वारा सरकार के समक्ष नवीन लाईसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया

निरन्तर.....2

था, परन्तु उनके द्वारा नया लाईसेंस नहीं दिया जाकर पुराने लाईसेंस पर ही प्रवेश कर विमुक्ति शुल्क का आरोपण कर दिया। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.(4)FD/Tax Div./99-265 दिनांक 20.01.2000 के अनुसार गणना भी गलत की है। इस प्रकार उन्होंने अपने कथन में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवसायी द्वारा पुराना लाईसेंस होते हुए भी नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन किया। प्रवेश अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पुराना लाईसेंस के निरस्त होने से पूर्व नवीन लाईसेंस का अस्तित्व नहीं होता एवं पुराना लाईसेंस के निरस्त होने से पूर्व उसके अनुसार ही विमुक्ति शुल्क जमा करवाया जाना होता है। परन्तु व्यवसायी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से पुराने लाईसेंस के निरस्तीकरण से पूर्व ही नवीन लाईसेंस का आवेदन कर दिया। आगे उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी प्रवेश अधिनियम के तहत देय प्रवेश कर के अन्तर्गत विमुक्ति स्कीम की पात्रता रखने के कारण उनके द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित विमुक्ति शुल्क जमा करवाया जाता रहा है। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान निर्धारित विमुक्ति शुल्क जमा करवाना था, परन्तु उनके द्वारा बड़ी हुई कम्पोजिशन राशि से बचने के लिए पुराना पंजीयन निरस्त करवाये बिना ही नवीन पंजीयन हेतु आवेदन कर आलौच्य अवधि के दौरान विमुक्ति शुल्क जमा नहीं करवाया गया। इस बाबत व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन के पश्चात् पुराने लाईसेंस पर कम्पोजिशन राशि जमा करवाया जाना विधिविरुद्ध है।

7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि व्यवसायी द्वारा पुराने लाईसेंस के अनुसार विमुक्ति शुल्क जमा करवाना चाहिए था अथवा नवीन लाईसेंस के अनुसार विमुक्ति शुल्क जमा करवाना चाहिए था? इसके लिए सर्वप्रथम प्रवेश अधिनियम की धारा 11 का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा, जो निम्नलिखित है-

**The Rajasthan Tax on Entry of Goods into local areas act
Corresponding provision in the RST Act, 1994**

11. Registration of dealers.-(1) Every dealer,-
(a) Who buys or receives goods liable to tax under this Act and who is doing business in a local area; and
(b) Who brings or cause to be brought such goods liable to tax into a local area or takes delivery or is entitled to take delivery of such goods, the aggregate value of which is not less than one lac rupees in a year;
Shall get himself registered under this Act in such manner, on payment of such fee and within such period as may be prescribed and such registration shall remain in force until the same is cancelled.


उक्त धारा 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक बार पंजीयन कराने के पश्चात् वह पंजीयन तब तक बल पूर्वक वैध रहेगा, जब तक कि उक्त पंजीयन को निरस्त नहीं कर दिया जाता।



8. इस प्रकार अधिनियम की धारा 11(1) व (2) के तहत व्यवसायी द्वारा पुराने लाईसेंस को निरस्त करवाये बिना ही नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन कर दिया जाना उचित नहीं होने से विमुक्ति शुल्क पुराने लाईसेंस के अनुसार ही देय होगा।

9. फलतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश यथावत् रखा जाता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य